उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 | अंक 2 | 16-31 जनवरी 2026 | ₹ 20/-

उत्तर प्रदेश के चार हजार मदरसे एटीएस के निशाने पर

- असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका
- बलूचिस्तान में सेना और बीएलए के बीच खौफनाक जंग
- ट्रम्प द्वारा गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा
- केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 3400 करोड़ रुपये

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश के चार हजार मदरसे एटीएस के निशाने पर 04
असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका 08
भोजशाला में सरस्वती पूजा के साथ नमाज का आयोजन 11
केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 3400 करोड़ रुपये आवंटित 14
प्रधानमंत्री मोदी की अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात 16

विश्व

बलूचिस्तान में सेना और बीएलए के बीच खौफनाक जंग 19
बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग खतरे में 21
अमेरिका द्वारा ईरानी गृह मंत्री और शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध 22
अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को रक्षा उपकरण बेचने की घोषणा 23
ब्रिटेन में नाबालिगों का निकाह पढ़ाने वाले इमाम को सजा 24

पश्चिम एशिया

ट्रम्प द्वारा गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा 25
भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध 27
भारत और यूएई के बीच व्यापारिक समझौता 29
सीरिया में एसडीएफ और सरकारी सेना में युद्धविराम 30
सऊदी अरब द्वारा 1800 विदेशी एजेंसियों के साथ समझौता निलंबित 31

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को राज्य के चार हजार से अधिक मदरसों की विदेशी फंडिंग और बुनियादी ढांचे की गहन जांच करने का आदेश दिया है। सरकार ने जांच अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे मदरसों और उनके प्रबंधकों के बैंक खातों की बारिकी से जांच करें और इसकी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पुलिस मुख्यालय में जमा कराएं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पहले भी राज्य के मदरसों की जांच करवाई थी। इस जांच में यह पुष्टि हुई थी कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में विदेशी सहायता से मदरसों का जाल बिछाया जा रहा है और उनमें विदेशी छात्रों व शिक्षकों को शरण दी जा रही है ताकि भविष्य में आतंकवाद की ज्वाला भड़काई जा सके। इस रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी इस्लामिक संस्थानों को निर्देश दिया था कि वे सरकार को अपने संस्थान में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की पूरी जानकारी दें। हाल ही में विदेशियों की पहचान छिपाने के आरोप में कुछ संस्थानों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हालांकि, मुस्लिम संगठनों और उर्दू मीडिया ने सरकारी जांच का विरोध किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना के तहत इस्लामिक शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विदेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें राज्य से निष्कासित करने का अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य के लाखों 'मियां' मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे मियां लोगों को इतना परेशान करें कि वे असम छोड़ने पर विवश हो जाएं। उल्लेखनीय है कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को 'मियां' मुसलमान कहा जाता है। उर्दू प्रेस और मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ने मुख्यमंत्री सरमा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री असम के मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उर्दू मीडिया ने विश्व के मुसलमानों से अपील की है कि वे असम के मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाएं।

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता जनाक्रोश गृहयुद्ध का रूप ले चुका है। इन प्रांतों के निवासियों की शिकायत है कि उनके इलाके के खनिज संसाधनों में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार चीनी कंपनियों को ठेका देकर उनके क्षेत्र के खनिज संसाधनों का दोहन कर रही है। यही कारण है कि बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे संगठन संघर्षशील हैं। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त सैन्य अभियान छेड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना ने इस अभियान में 200 से अधिक विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया है। जबकि बीएलए ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 350 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस कार्रवाई में बीएलए की महिला आत्मघाती हमलावरों ने भी भूमिका निभाई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा के नवनिर्माण के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' के सदस्यों की घोषणा कर दी है। इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं ट्रम्प करेंगे। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए विश्व के 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया था। कुछ देशों ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है तो कुछ ने ठुकरा दिया है। खास बात यह है कि कई यूरोपीय देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र को कमजोर करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया है। उर्दू मीडिया ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस की आड़ में गाजा को इजरायल के हवाले करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश के चार हजार मदरसे एटीएस के निशाने पर

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के सहयोग से राज्य के चार हजार मदरसों के प्रबंधकों, शिक्षकों और विदेशी मूल के छात्रों की बारिकी से जांच करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल ने प्रदेश के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे एटीएस को मान्यता प्राप्त व गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची उपलब्ध कराएं और जांच में पूर्ण सहयोग करें। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि मदरसों व उनके प्रबंधकों के व्यक्तिगत बैंक खातों की जांच करके लेनदेन का सत्यापन किया जाए और दो सप्ताह के भीतर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाए। परिपत्र में कहा गया है कि कई मदरसों के पास बड़ी-बड़ी इमारते हैं, लेकिन इनके प्रबंधकों ने अभी तक सरकार को यह जानकारी नहीं दी है कि इन इमारतों के निर्माण हेतु मिलने वाली धनराशि का स्रोत क्या है? राज्य की खुफिया ईकाइयों को यह निर्देश दिया गया है कि वे मदरसों को मिलने वाली विदेशी सहायता की जांच करें।

टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया उत्तर प्रदेश के महासचिव दीवान साहब जमान खान ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह मदरसों के प्रबंधकों को जानबूझकर परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आरोप सरासर गलत है कि इन मदरसों का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से है, क्योंकि सरकार इस संबंध में एक भी मामले का पता नहीं लगा सकी है। उन्होंने कहा कि मदरसों की इमारतें एक दिन में नहीं, बल्कि वर्षों में लोगों के छोटे-छोटे चंदे से बनती हैं। उन्होंने कहा कि चंदे की रसीदें एक सीमित समय तक ही संभाल कर रखी जाती हैं और उसके बाद इन्हें नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए बहुत पुरानी रसीदों की मांग करना व्यावहारिक नहीं है। जमान खान ने मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि मदरसों के प्रबंधकों की समस्याओं का निराकरण हो सके।

इंकलाब (18 जनवरी) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अपने एक फैसले में कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय बिना शिक्षा बोर्ड की मंजूरी के भी अपना मदरसा चला सकता है। अदालत ने यह निर्देश श्रावस्ती जिले में स्थित मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को बंद करने के मामले में दिया है। अदालत ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि इस मदरसे को बंद करने के फैसले को वापस लिया जाए और उस पर लगाई गई सील को 24 घंटे के भीतर खोला जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान की धारा 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना मान्यता के चलने वाले मदरसे सरकारी अनुदान लेने के हकदार नहीं होंगे। मदरसे के प्रबंधक अब्दुल रहमान की ओर से वकील सैयद फारूक अहमद ने अदालत में कहा कि इस मदरसे के प्रबंधक न तो सरकारी मान्यता चाहते हैं और न ही सरकारी सहायता।

मदरसे के वकील ने केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को तीन श्रेणियों में बांटा था। पहली श्रेणी में उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को रखा था, जो सरकार से न तो आर्थिक सहायता मांगते हैं और न ही मान्यता। दूसरी श्रेणी में उन शिक्षण संस्थानों को रखा गया, जो सरकार से आर्थिक सहायता नहीं चाहते, लेकिन मान्यता चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में उन शिक्षण संस्थानों को रखा गया था, जो सरकार से आर्थिक सहायता और मान्यता दोनों मांगते हैं। मदरसे के वकील ने कहा कि अब्दुल रहमान का मदरसा पहली श्रेणी में आता है, क्योंकि वे न तो सरकारी सहायता मांग रहे हैं और न ही मान्यता। उन्होंने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार इस तरह के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान संविधान की धारा 30(1) के तहत पूरी तरह संरक्षित हैं और उन्हें अपनी पसंद से चलने का अधिकार है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि सरकार गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इन्हें चलाने में कई जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी शिक्षा के आधार पर कोई सरकारी लाभ या डिग्री नहीं मिल पाएगी और इससे छात्रों को नुकसान होगा। हालांकि, सरकारी वकील यह साबित नहीं कर पाए कि कानून की किस धारा के तहत बिना मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना मान्यता प्राप्त मदरसों को भी चलाया जा सकता है, लेकिन वे सरकारी अनुदान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे और न ही इस तरह के मदरसों के छात्रों को मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित

परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त इन मदरसों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को सरकारी मान्यता नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के उपाध्यक्ष मौलाना तारिक शम्सी ने कहा है कि अदालत ने मदरसों के संवैधानिक और कानूनी स्थिति को मान्यता दी है। यह मदरसों और इस्लाम की जीत है।

सहाफत (22 जनवरी) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कुछ सांप्रदायिक सोच वाले मुख्यमंत्रियों द्वारा इस्लामी मदरसों को बंद करने का अभियान चलाया जा रहा है। अदालत के इस फैसले से उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। इन मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि संविधान में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने भी इसी की पुष्टि की है।

इंकलाब (21 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने इमिग्रेशन कानून के उल्लंघन और अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान के लिए जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में रह रहे विदेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए सघन अभियान चलाएं। इसके साथ ही नेपाल सीमा से सटे जिलों के मदरसों में दाखिल विदेशी मूल के छात्रों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। आजमगढ़ जिले की अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने कहा है कि कई मदरसों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया है और न ही उन्होंने विदेशी छात्रों का विवरण 'फॉर्म एस' पोर्टल पर दर्ज किया है। यह विदेशी कानून और इमिग्रेशन नियमों का खुला उल्लंघन है। इस नियम के अनुसार अगर कोई विदेशी नागरिक किसी के आवास या संस्थान में रहने के लिए आता है तो 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना केंद्र सरकार को देना अनिवार्य है। इस सिलसिले में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने विदेशी नागरिकों के बारे में तुरंत जानकारी नहीं दी तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अवधनामा (16 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों, मजारों और मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। यह बेहद चिंताजनक है। हालांकि, ये धार्मिक स्थल सदियों पुराने हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार एक बार तय कर ले कि कितनी दरगाहें, मस्जिदें और मदरसे अवैध तरीके से बने हुए हैं। उनकी सूची प्रकाशित की जाए ताकि बाकी मुस्लिम धार्मिक स्थान सरकार के कहर से बच सकें। समाचारपत्र ने कहा है कि इस तरह के अभियान से दुनियाभर में भारत की बदनामी हो रही है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 जनवरी) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि उत्तर प्रदेश

सरकार ने मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले कई मदरसों की मंजूरी रद्द कर दी है। यह सब मुस्लिम विरोधी नीति के तहत किया जा रहा है। इस सरकारी फैसले से मदरसों के लाखों छात्रों और शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने जिन मदरसों की मान्यता रद्द की है वे प्रयागराज, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, वाराणसी, अलीगढ़, कुशीनगर और लखनऊ में स्थित हैं। इस फैसले के बाद सरकार ने इन संस्थानों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान रोक दिया है। इस सरकारी फैसले के कारण मदरसों के प्रबंधकों की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर इन मदरसों की मान्यता में कोई त्रुटि थी तो इसकी जांच पहले की जानी चाहिए थी। अब परीक्षा सिर पर है ऐसे में सरकार द्वारा यह कदम उठाना छात्रों और शिक्षकों दोनों के साथ अन्याय है। यह समस्या सिर्फ एक संस्थान, कुछ शिक्षकों और छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे मुस्लिम समुदाय पर पड़ रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि मुसलमान अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एकजुट होकर कानूनी रास्ता अपनाएं।

इंकलाब (31 जनवरी) ने अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों की जांच करवाने की आलोचना की है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि सरकार अभी तक यह साबित नहीं कर पाई है कि किसी भी मदरसे का संबंध आतंकवाद से है। सरकार के इस फैसले से पूरी मुस्लिम कौम की भावना पर चोट पहुंची है। सरकार यह दावा करती है कि वह मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए दृढ़संकल्प है। उत्तर प्रदेश में अगर वास्तव में सात हजार से अधिक मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया है तो वे मदरसे कहां हैं? वे जमीन पर हैं या सिर्फ फाइलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनमें पढ़ाई करने वाले कितने छात्र समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं? समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि जो सरकार अपने सरकारी स्कूलों को आधुनिक नहीं बना सकी वह मदरसों को आधुनिक बनाने का स्वप्न कैसे दिखा रही है? सरकारी स्कूलों से आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मदरसे किसी सरकारी सहायता पर

निर्भर नहीं हैं, बल्कि वे 'उम्मत' के साधनों पर पलते रहे हैं। इन मदरसों ने सिर्फ इमाम और मुअज्जिन ही नहीं दिए, बल्कि इस्लाम के महान चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी भी दिए हैं। सरकार स्वयं ही रेलवे, बैंक, बिजली और हवाई जहाजों को निजी हाथों में सौंप रही है तो फिर दीनी मदरसों को सरकारी शिकंजे में क्यों कसा जा रहा है? सरकार का यह फैसला भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मुसलमानों को यह याद रखना चाहिए कि अगर ये 'दीनी किले' कमजोर पड़ गए तो आने वाली पीढ़ियों का इस्लाम पर ईमान खतरे में पड़ जाएगा।

अवधनामा (4 फरवरी) ने अपने संपादकीय में राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना भड़काई जा रही है। मदरसों की जांच का अभियान भी उसी का हिस्सा है। मदरसे हमेशा मुसलमानों की सहायता से चलते आ रहे हैं और इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार का यह फैसला मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ है।

असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका

इंकलाब (3 फरवरी) के अनुसार मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सरमा असम के मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं। इससे भारतीय संविधान तार-तार हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देकर कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे राज्य का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। अदालत ने जमीयत उलेमा के वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद और फारूक रशीद से सुझाव मांगा है कि देश में बढ़ते नफरती अभियान को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएं।

जमीयत उलेमा की याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 27 जनवरी, 2026 को दिए गए उस बयान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि असम में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान चार से पांच लाख 'मियां' मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से

हटा दिए जाएंगे। सरमा ने यह भी कहा था कि उनका काम मियां लोगों को परेशान करना है और उनकी पार्टी मियां लोगों के सख्त खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि 'मियां' शब्द असम में मुसलमानों के लिए घृणात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के भाषणों के लिए नैतिक कोड निर्धारित करे ताकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति देश में सांप्रदायिक नफरत, उत्तेजना या किसी विशेष वर्ग को बदनाम करने का अभियान न चला सके। ऐसे बयानों से सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचता है। यह बयान भारतीय संविधान में दी गई समता, भाईचार और सेक्युलरिज्म की भावना के खिलाफ है।

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि एसआईआर के तहत राज्य के लाखों मियां मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे मियां लोगों को इतना परेशान करें कि वे असम छोड़ने पर विवश हो जाएं। उन्होंने जनता से मियां लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने की अपील की है। तिनसुकिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मियां लोगों को असम में नहीं, बल्कि बांग्लादेश में वोट डालना चाहिए।

इंकलाब (30 जनवरी) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि असम में जिन लोगों के पास दस्तावेजी सबूत नहीं हैं उन्हें एक सप्ताह के अंदर राज्य से निष्कासित करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार को भारत और बांग्लादेश के बीच हुए किसी समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने पिछले तीन महीनों में दो हजार से अधिक लोगों को बांग्लादेश भेजा है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी नीति है। सरमा ने कहा कि अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को प्रभावी बना दिया गया है। इस कानून के तहत राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को यह अधिकार है कि वे असम में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश की सीमा में धकेल दें। उन्हें अब हर मामले के लिए विदेशी ट्रिब्यूनल की लंबी अदालती प्रक्रिया का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली के हौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197, 299, 302 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

इंकलाब (30 जनवरी) ने अपने संपादकीय में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की आलोचना करते हुए कहा है कि वे राज्य की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे यह फैसला करें कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं। समाचारपत्र ने कहा है कि असम में विदेशियों की पहचान के लिए पहले से ही कानूनी व्यवस्था मौजूद है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं ही न्यायाधीश और स्वयं ही जल्लाद बन बैठे हैं।

हिंदुस्तान (31 जनवरी) ने असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वे नफरत की भावना के तहत मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक अभियान चला रहे हैं। वे देश के लोकतंत्र की बुनियाद की जड़ें खोद रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक विशेष धार्मिक समूह को अपना निशाना बनाता है तो वह पूरे देश को बदनाम करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खौफनाक उदाहरण छोड़ जाता है। आज जो लोग उनके नफरती बयान पर ताली बजा रहे हैं उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कल उनका भी नंबर आ सकता है। समाचारपत्र ने मुसलमानों से जागृत होने की अपील की है ताकि वे अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें।

अवधनामा (31 जनवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि असम में भाजपा के सत्तारूढ़ होते ही मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा महसूस होता है कि भाजपा ने मुसलमानों को तबाह करने के लिए ही हिमंत बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री खुलेआम राज्य के मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस समय असम के मुसलमान अपने इतिहास के सबसे नाजुक घड़ी से गुजर रहे हैं। उनकी पहचान और नागरिकता को खत्म किया जा रहा है। समाचारपत्र ने विश्वभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे असम के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएं।

उर्दू टाइम्स (1 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि असम में मुस्लिम जनसंख्या 40 प्रतिशत है, लेकिन वे एकजुट नहीं हैं। यही कारण है कि राज्य का प्रशासन उनको अपना निशाना बना रहा है। असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) बनाई थी, लेकिन वह अब दम तोड़ रही है। इसका कारण यह है कि एआईयूडीएफ ने कभी भी सेक्युलर पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं किया। आज स्थिति यह है कि राज्य की भाजपा सरकार मुसलमानों का नामोनिशान मिटाने पर तुली हुई है। अब जबकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुसलमानों की गैरत (आत्मसम्मान) को ललकारा है तो उन्हें एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए और इस्लाम की रक्षा करनी चाहिए।

भोजशाला में सरस्वती पूजा के साथ नमाज का आयोजन

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 जनवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में एक अहम फैसला सुनाते हुए सरस्वती पूजा के दिन नमाज पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक गतिविधियों के लिए 2003 से चली आ रही व्यवस्था ही लागू रहेगी। अदालत ने कहा कि हिंदुओं को वसंत पंचमी के दिन दिनभर सरस्वती पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उल्लेखनीय है कि यह याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि वसंत पंचमी के दिन सिर्फ हिंदुओं को ही भोजशाला परिसर में सरस्वती पूजा करने की अनुमति दी जाए और जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत में तर्क दिया कि पूजा की रस्में सूर्योदय से सूर्यास्त तक होनी चाहिए और ऐसे में जुमे की नमाज शाम को पढ़ी जा सकती है। इस पर कमाल मौला मस्जिद कमेटी के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि धार्मिक दृष्टि से जुमा की नमाज का समय निर्धारित है। यह दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच पढ़ी जाती है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। उन्होंने अदालत से मांग की कि नमाज के समय भोजशाला परिसर में अन्य धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 7 अप्रैल 2003 का आदेश इस स्थान पर धार्मिक गतिविधियों के लिए बुनियादी रूपरेखा प्रदान करता है। इस आदेश के अनुसार भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष को हर मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन पूजा करने की अनुमति है। जबकि मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति है।

अदालत ने हिंदू पक्ष की दिनभर पूजा करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि जुमे की नमाज के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अदालत ने जिला प्रशासन को परिसर के भीतर दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वारा की व्यवस्था करने का आदेश

दिया ताकि टकराव की स्थिति पैदा न हो। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को निर्देश दिया कि वह नमाजियों की अनुमानित संख्या प्रशासन को पहले ही बता दे ताकि उसी हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। अदालत के निर्देश के बाद नमाजियों ने पुलिस की मौजूदगी में भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ी। उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। जबकि हिंदू पक्ष ने सरस्वती पूजा की।

उल्लेखनीय है कि 2024 में यह विवाद तब और बढ़ गया जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एएसआई को भोजशाला परिसर में वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया। इस सर्वे का लक्ष्य इस परिसर की ऐतिहासिक सच्चाई को सामने लाना था। एएसआई ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में पुष्टि की थी कि खुदाई के दौरान एक प्राचीन मंदिर के अवशेष और खंडित मूर्तियां मिली हैं। यह मामला अभी अदालत में लंबित है।

टिप्पणी: एएसआई के रिकॉर्ड के अनुसार भोजशाला, जिसे सरस्वती सदन भी कहा जाता है, का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने 1034 में करवाया था। महाराजा भोज का शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी तक बताया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस विवाद का केंद्र धार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है। मुसलमानों का दावा है कि इस मस्जिद परिसर में कमालुद्दीन का मजार है। कमालुद्दीन चिश्ती सूफी थे और वे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके सेनापति दिलावर खान ने भोजशाला को जबरन एक मस्जिद में बदल दिया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पुरातत्व विशेषज्ञ माइकल विलिस ने अपने शोध पत्र में पुष्टि की है कि भोजशाला का निर्माण परमार वंश के महाराजा भोज ने करवाया था। उन्होंने इस परिसर में ज्ञान की देवी सरस्वती की एक प्रतिमा भी स्थापित की थी, जो इन दिनों लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद है। विलिस ने यह भी पुष्टि की है कि इस मस्जिद के स्तंभ किसी प्राचीन हिंदू मंदिर के हैं। इस मस्जिद के फर्श पर छह संस्कृत शिलालेख भी मौजूद हैं, जो दसवीं शताब्दी के बताए जाते हैं।

इस परिसर का उल्लेख दो ब्रिटिश पुरातत्व विशेषज्ञों सर जॉन मैल्कम और विलियम किनकैड

ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि यह भवन निश्चित रूप से एक हिंदू भवन है। इतिहासकार ओसी गांगुली ने 1943 में ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद परमारकालीन वाग्देवी की प्रतिमा पर अपना महत्त्वपूर्ण शोध प्रकाशित किया था। इस शोध में उन्होंने दावा किया था कि इस प्रतिमा में एक संस्कृत भाषा का शिलालेख मौजूद है। इस प्रतिमा का निर्माण महाराजा भोज ने करवाया था और इसे सरस्वती मंदिर में स्थापित किया था। 2003 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भोजशाला का उद्धार मुख्य चुनावी मुद्दा बना था। इसके कारण तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता निकल गई थी और भाजपा सत्तारूढ़ हो गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा में यह घोषणा की थी कि सरकार वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाने के लिए प्रयत्नशील है।

उर्दू टाइम्स (20 जनवरी) के अनुसार अजमेर की सिविल अदालत ने महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह वास्तव में एक शिव मंदिर था। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील एपी सिंह के जरिए अजमेर की सिविल अदालत में दायर की गई है। शुरुआती सुनवाई के बाद अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। इसकी अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। अदालत ने इस मामले में राजस्थान सरकार, पुरातत्व विभाग और दरगाह कमेटी को पक्षकार बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है।

एपी सिंह ने अदालत में बताया कि महाराणा प्रताप सेना देशभर में भारत के इतिहास के संरक्षण के लिए आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि अजमेर को पहले अजयमेरु के नाम से जाना जाता था, जिसे चौहान सम्राट राजा अजयपाल चौहान ने बसाया था। वर्तमान अजमेर दरगाह के स्थान पर पहले पुराना शिव मंदिर था। यहां पर चौहान वंश के शासक पूजा किया करते थे। बाद में आक्रांताओं ने उसे एक दरगाह में बदल दिया। एपी सिंह ने कहा कि यह मामला करोड़ों सनातनी हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा

हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि अदालत शिव मंदिर के संरक्षण को सुनिश्चित करेगी ताकि सनातनी हिंदू आने वाले समय में प्रयागराज और पुष्करराज से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें। गौरतलब है कि इससे पहले 2024 में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भी इस संदर्भ में अजमेर सिविल अदालत में एक याचिका दायर की थी।

केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 3400 करोड़ रुपये आवंटित

अवधनामा (2 फरवरी) के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का जो बजट पेश किया है उसमें अल्पसंख्यकों के बजट में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इस साल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जबकि पिछले साल यह धनराशि 3350 करोड़ रुपये थी। इसमें से 1913 करोड़ की धनराशि अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित की गई थी। यह बुनियादी तौर पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) का हिस्सा है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूलों, छात्रावासों और अस्पतालों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है।

इंकलाब (2 फरवरी) ने केंद्रीय बजट का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण, विकास और शिक्षा के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा नहीं की गई है। समाचारपत्र ने कहा है कि 2026-27 के बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3400 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, पिछले साल के बजट में भी अल्पसंख्यकों के लिए 3350 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसमें कटौती करके इसे 2160 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस बार भी अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित बजट में कटौती किए जाने की संभावना है। बजट में अल्पसंख्यकों को सब्जबाग दिखाने के लिए इस तरह के आंकड़ों का खेल खेला जाता है। इस बार मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के फंड में भारी कटौती की गई है। पिछले साल मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लिए 53 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। इस बार इसे घटाकर 36 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की मुफ्त कोचिंग के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री विरासत का

संवर्धन योजना के लिए 303 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड विकास योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना के लिए सिर्फ 32 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के बजट में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए क्रमशः 195 करोड़ और 413 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए थे। बाद में इसमें कटौती करके सिर्फ 60 करोड़ रुपये कर दिए गए। इस बार के बजट में इन छात्रवृत्तियों के लिए क्रमशः 198 करोड़ रुपये और 581 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। साफ है कि यह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इस बात की संभावना है कि बजट में आवंटित धनराशि को छात्रवृत्तियों पर खर्च नहीं किया जाएगा और यह धनराशि लैप्स हो जाएगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस बजट में देश के 20 करोड़ मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कुछ नहीं है। समाचारपत्र ने राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड विकास योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस योजना का लक्ष्य वक्फ रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण व डिजिटलीकरण करना, राज्य वक्फ बोर्डों के प्रशासन को मजबूत करना और खाली पड़ी वक्फ भूमि को अतिक्रमण से बचाना है ताकि भविष्य में इसे व्यापारिक आधार पर विकसित किया जा सके। इस बजट में यह भी कहा गया है कि 'उम्मीद पोर्टल' के माध्यम से एक पारदर्शी डिजिटल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसमें वक्फ संपत्ति का पंजीकरण, पुष्टि, मंजूरी, जीआईएस मैपिंग और जियो टैगिंग किया जाएगा ताकि अल्पसंख्यकों को वक्फ संपत्ति का भरपूर लाभ मिल सके।

समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार ने एक बार फिर से विकास के लंबे-चौड़े दावे किए हैं। सरकार ने पूंजी निवेश के सब्जबाग दिखाए हैं, लेकिन मानव विकास, समान शिक्षा और वंचित वर्ग के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अजीब बात है कि इस बार का केंद्रीय बजट 53 लाख करोड़ से अधिक का है, लेकिन इसमें से अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ 3400 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गई है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस देश में लगभग 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस बजट में उनके विकास हेतु उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस बजट में अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों, मुफ्त कोचिंग और शिक्षा ऋण की धनराशि में भारी कमी की गई है। इन्हीं योजनाओं के जरिए अल्पसंख्यक छात्र उच्च शिक्षा तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। जब इस आधार को ही कमजोर कर दिया जाएगा तो हर जिले में महिला छात्रावास स्थापित करने जैसी घोषणाओं का क्या महत्व रह जाता है? शिक्षा के लिए सिर्फ इमारतें और संस्थान ही काफी नहीं होते, बल्कि यह जरूरी है कि अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के लिए सक्रिय आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए और उन्हें समाज के अन्य वर्गों की तरह समान विकास का अवसर मिले।

इसी तरह से हुनर को विकसित करने और रोजगार उपलब्ध कराने के लंबे-चौड़े दावों को

कार्यान्वित करने की भी कोई आशा नजर नहीं आती। अल्पसंख्यक युवा पहले से ही बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव और नौकरी के सीमित साधनों का सामना कर रहे हैं। इस बजट में हुनरमंदी और रोजगार से संबंधित योजनाओं में भारी कटौती की गई है। इससे साफ है कि सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य केंद्र सरकार के निर्धारित बजट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। यह तुलना सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह नैतिक और संवैधानिक सवाल भी खड़ा करती है। अगर कोई राज्य सरकार अपने सीमित साधनों के बावजूद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु गंभीर हो सकती है तो केंद्र सरकार की यह बेरुखी उसके लंबे-चौड़े दावों के खोखलेपन को साबित करती है। केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचा, उद्योग और रक्षा के लिए भारी धनराशि की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह विकास तब तक स्थाई नहीं हो सकता जब तक उसकी पहुंच समाज के सभी वर्गों तक न हो।

समाचारपत्र ने कहा है कि 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा खोखला महसूस होता है, क्योंकि उसकी छाया बजट के आंकड़ों में नहीं दिखाई देती है। यह बजट सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। अगर सरकार वास्तव में समग्र न्याय पर आधारित विकसित भारत का निर्माण करना चाहती है तो उसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए भरपूर आर्थिक साधन उपलब्ध कराना होगा। वरना यह बजट विकास के कुछ उज्ज्वल आंकड़े तो जरूर छोड़ जाएगा, लेकिन सामाजिक असमानता, शैक्षणिक पिछड़ापन और वंचित होने का अहसास आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत भारी पड़ेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात

इंकलाब (1 फरवरी) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 अरब देशों के विदेश मंत्रियों और अरब लीग के महासचिव से मुलाकात की है। अरब विदेश मंत्रियों का यह प्रतिनिधिमंडल भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अरब देशों में लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार और संयुक्त संस्कृति के कारण भारत और अरब देशों का समान इतिहास रहा है।

इसके कारण अरब देशों के साथ हमारे संबंध दिन-प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम सब मिलकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करेंगे ओर एक दूसरे के नजदीक आने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले वर्षों में भारत-अरब साझेदारी के लिए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अरब देशों के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी और दोनों तरफ की जनता को भारी लाभ पहुंचेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीनी जनता के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया और गाजा शांति योजना का स्वागत किया। अरब नेताओं ने भारत के अरब देशों के साथ बढ़ते हुए रिश्तों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत अरब देशों का एक विश्वसनीय सहयोगी है। उन्होंने भारत की संतुलित विदेश नीति और बातचीत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की सराहना की। अरब नेताओं ने कहा कि इससे अरब जगत में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

अवधनामा (31 जनवरी) ने इस सम्मेलन का स्वागत करते हुए कहा है कि यह भारत की एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है। इस सम्मेलन में ईरान-इजरायल तनाव और लाल सागर में हूतियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर भी विचार किया गया। भारत का यह प्रयास है कि अरब देशों के साथ शक्ति संतुलन और संबंधों को मजबूत बनाया जाए। यही कारण है कि इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, इराक, लेबनान, सीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया, जिबूती, मॉरिटानिया, कोमोरस, यमन और फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सियासत (23 जनवरी) ने अपने संपादकीय में अरब देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस समय भारत की ऊर्जा नीति एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। हाल के घटनाक्रम से

यह साफ है कि भारत रूस से तेल खरीदने की निर्भरता को तेजी से कम रहा है। भारत अरब और पश्चिम एशिया के देशों के साथ ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव सिर्फ व्यापारिक नहीं है, बल्कि गहरे कूटनीतिक हितों की ओर संकेत करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने विश्व बाजार में सस्ती कीमत पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इसका भरपूर लाभ उठाया।

हालांकि, भारत की इस नीति को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पसंद नहीं किया। अमेरिका ने कहा कि भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध के विस्तार में अपनी भूमिका निभा रहा है। अमेरिका का भारत पर यह दबाव है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देशों से तेल खरीद सकता है। हाल ही में भारत ने इराक और ओमान सहित कई अन्य खाड़ी देशों के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति से संबंधित समझौते किए हैं। भारत की यह नीति दूरदर्शिता पर आधारित है। इस नीति के कारण अरब देशों के साथ भारत के नए व्यापारिक समझौते की शुरुआत हो सकती है।

सियासत (31 जनवरी) ने अपने संपादकीय में भारत और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा वर्किंग ग्रुप की बैठक का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे दोनों देशों में स्थिरता और शांति की स्थापना होगी। इस सम्मेलन में आतंकवाद और कट्टरपंथ को रोकने के बारे में भी व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। बढ़ता वैश्विक आतंकवाद अब किसी एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह विश्व स्तर पर खतरा बन चुका है। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत और सऊदी अरब जिस तरह से एक-दूसरे की नीति का समर्थन कर रहे हैं उससे साफ है कि दोनों देश इस क्षेत्र में दीर्घकालीन शांति व स्थिरता के समर्थक हैं। ■

बलूचिस्तान में सेना और बीएलए के बीच खौफनाक जंग

पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ दिया है। इससे पाकिस्तान में स्थिति भीषण हो गई है। पाकिस्तानी सेना के इस अभियान के जवाब में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 16 से अधिक स्थानों पर एक साथ हमले करके सनसनी पैदा कर दी है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग (आईएसपीआर) के अनुसार इस अभियान में अब तक 216 से अधिक विद्रोही मारे गए हैं। आईएसपीआर ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया है कि विदेशी सहयोग से इन सशस्त्र विद्रोहियों ने फ्रंटियर कोर मुख्यालय और कम-से-कम चार छावनियों को अपना निशाना बनाया है। इसके अतिरिक्त 30 से अधिक सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, जिनमें बैंक, प्रशासनिक कार्यालय और न्यायिक परिसर शामिल हैं। सरकारी दावे के अनुसार इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कुछ उच्चाधिकारी समेत लगभग 90 सैनिक मारे गए हैं। जबकि बीएलए ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने 350 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। बीएलए ने कुछ सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा किया है।

सियासत (2 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि सेना ने बलूचिस्तान में अलग-अलग कार्रवाई में 133 विद्रोहियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इन विद्रोहियों ने विदेशियों के इशारे पर बलूचिस्तान में तबाही मचाने की योजना बनाई थी, जिसे सेना ने विफल बना दिया है। पाकिस्तानी सेना की इन कार्रवाइयों में लगभग दो दर्जन निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं।

अखबार-ए-मशरिक (1 फरवरी) के अनुसार बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तान के 16 स्थानों पर एक साथ हमले किए हैं। ये हमले पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच नागरिकों के नरसंहार के जवाब में किए गए हैं। इन हमलों की शुरुआत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से हुई। क्वेटा में किए गए हमलों में 70 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूच लड़ाकों ने सड़कों के अनेक पुलों को उड़ा दिया ताकि पाकिस्तानी सेना के अन्य कमान इस कार्रवाई में

भाग न ले सकें। बीएलए ने दावा किया है कि इन हमलों में उसके फतेह स्क्वाड, मजीद ब्रिगेड और जीरब यूनिट ने हिस्सा लिया। बीएलए की महिला आत्मघाती हमलावरों ने मस्तुंग, कलात, ग्वादर और मकरान में विस्फोट करके स्वयं को उड़ा लिया। इन हमलों में 150 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।

बलूच विद्रोहियों ने मस्तुंग और नुश्की जेल पर कब्जा करके उनमें बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा के अनेक इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट व मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है। इसके साथ ही दो दर्जन से अधिक ट्रेनों की आवाजाही भी स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के तीनों अंग आधुनिक हथियारों, ड्रोनों और लड़ाकू विमानों से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया है कि दो पड़ोसी देश पाकिस्तान में अशांति फैला रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि हम उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और उनके एजेंटों का पता लगाकर उनका सफाया कर देंगे।

पाकिस्तानी अखबार **एक्सप्रेस न्यूज** ने दावा किया है कि बीएलए ने ग्वादर में आत्मघाती हमले में शामिल हवा बलूच की तस्वीर जारी कर दी है। वह बीएलए की मजीद ब्रिगेड में थी। बीएलए के प्रवक्ता जुनैद बलूच ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण अब हमारी महिलाओं को भी बंदूक उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम यह दृश्य नहीं देखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बलूचों को अंतिम सांस तक लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जब तक एक भी बलूच स्वतंत्रता सेनानी जीवित है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

बीबीसी उर्दू के अनुसार बीएलए के चार आत्मघाती हमलावरों ने नुश्की स्थित फ्रंटियर कोर की छावनी पर हमला करके बारूद से भरे वाहन में धमाका कर दिया। इस हमले का नेतृत्व महिला आत्मघाती हमलावर आसिफा मेंगल ने किया। इसके बाद उन्होंने रॉकेट लॉन्चरों से पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। इस हमले में कम-से-कम 67 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि बलूच विद्रोही अपने हमलों में अब महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (2 फरवरी) के अनुसार बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई के कारण भारी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। पलायन करने वाले लोगों ने पत्रकारों को बताया कि उनके गांव की मस्जिदों से यह घोषणा की जा रही है कि पाकिस्तानी सेना विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है, इसलिए वे अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं।

खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी के एक दुकानदार गुल अफरीदी ने बताया कि 50 हजार से अधिक लोग खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान स्थित अपने घरों को छोड़कर पंजाब जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने बताया कि आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अशांत क्षेत्रों को खाली करने का निर्देश दिया गया है।

एतेमाद (2 फरवरी) के अनुसार भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठनों से उसका कोई संबंध नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जनता और विश्व की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। ऐसा करके वह अपनी विफलताओं पर पर्दा डालना चाहता है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती है तो वहां की सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय भारत पर आरोप लगा देती है। यह उसकी पुरानी आदत है। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हमलों के पीछे भारत का हाथ है।

अवधनामा (25 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के पूर्व कमांडर नूर आलम महसूद के घर पर आत्मघाती हमला हुआ। यह हमला तब किया गया जब उसके भतीजे की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस धमाके में सात लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। समाचारों के अनुसार नूर आलम महसूद 2016 तक टीटीपी के ऑपरेशन 'जरब-ए-अज्ब' का कमांडर था। बाद में उसने टीटीपी से अपना नाता तोड़कर पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई में शामिल हो गया था।

बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग खतरे में

उर्दू टाइम्स (2 फरवरी) के अनुसार भारत के हालिया बजट में कपड़ा उद्योग के बारे में नई घोषणा से बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश रेडीमेड कपड़ों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जबकि भारत छठे स्थान पर है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालते ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कटुता आ गई थी। जबकि पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश की निकटता बढ़ती जा रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए ताजा समझौते से बांग्लादेश और चीन के कपड़ा बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यूनियन का कपड़ा आयात बाजार 263 बिलियन डॉलर का है। इसमें से 21 प्रतिशत हिस्सेदारी बांग्लादेश की है। यूरोपीय यूनियन बांग्लादेशी कपड़ों पर आयात शुल्क नहीं लगाता है। इसके कारण उसके व्यापार में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर, यूरोपीय यूनियन के कपड़ा आयात बाजार में भारत की हिस्सेदारी पांच से छह प्रतिशत के बीच

है। भारत और यूरोपीय यूनियन के ताजा समझौते से पहले यूरोपीय यूनियन भारतीय कपड़ों पर 12 प्रतिशत तक का आयात शुल्क लगाता था। अब भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कपड़ों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे बांग्लादेश के कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है।

चट्टान (1 फरवरी) के अनुसार भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए समझौते से बांग्लादेश के साथ-साथ पाकिस्तान के कपड़ा बाजार पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की जीएसपी प्लस स्कीम के तहत शुल्क में छूट दी जाती है। अब नए समझौते से भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले कपड़ों पर यूरोपीय यूनियन के देशों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे पाकिस्तान द्वारा यूरोपीय यूनियन के देशों में निर्यात किए जाने वाले कपड़ों, चमड़े के सामान और कृत्रिम आभूषण को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कपड़ा परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद हसन शफकात ने पत्रकारों को बताया कि पाकिस्तान द्वारा यूरोपीय यूनियन के देशों में निर्यात कपड़ों पर अभी तक जीएसपी प्लस के तहत छूट मिलती थी, लेकिन अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए समझौते से हमारे निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है।

अमेरिका द्वारा ईरानी गृह मंत्री और शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध

अवधनामा (1 फरवरी) के अनुसार ईरान में हुए उग्र प्रदर्शनों के बाद अमेरिका ने ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी सहित कई शीर्ष अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मोमेनी ईरान के प्रदर्शनकारियों की हत्या के दोषी हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि एस्कंदर मोमेनी ईरान में 'हत्यारा कानून' लागू करने के दोषी हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने मोमेनी की सभी संपत्तियों और वित्तीय हितों को भी जब्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के उच्चाधिकारियों और ईरानी व्यापारी बाबक मुर्तजा जंजानी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जंजानी पर प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए

ईरान सरकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आरोप है।

अमेरिका ने सभी अमेरिकी नागरिकों व कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इन प्रतिबंधित लोगों से किसी भी तरह का आर्थिक संबंध न रखें। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान सरकार एक समृद्ध ईरान बनाने के बजाय पेट्रोल से होने वाली आय को परमाणु हथियर बनाने, मिसाइलों के उत्पादन और दुनियाभर में फैले हुए आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। अमेरिका ने ईरान के जिन शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें आईआरजीसी के खुफिया विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादेमी, तेहरान प्रांत में आईआरजीसी के सैयद अल-शोहादा कोर के कमांडर घोरबान मोहम्मद वलीजादेह, हमदान प्रांत के आईआरजीसी कमांडर हुसैन जारे कमाली और करमानशाह प्रांत के कमांडर मेहदी हाजियान प्रमुख हैं।

इंकलाब (16 जनवरी) के अनुसार अमेरिका ने पांच अन्य ईरानी उच्चाधिकारियों पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। इनमें ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने संवाददाताओं को बताया कि ईरान में बढ़ते जनाक्रोश के कारण वर्तमान सरकार का तख्ता पलटने की संभावना है। हालांकि, उन्होंने ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र रेजा पहलवी का समर्थन नहीं किया। ट्रम्प ने कहा कि वे 65 वर्षीय रेजा पहलवी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रेजा पहलवी अमेरिका में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद वे अपने पिता के साथ ईरान से भागकर अमेरिका आए थे।

अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को रक्षा उपकरण बेचने की घोषणा

कौमी तंजीम (1 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने सऊदी अरब को नौ अरब डॉलर मूल्य के पैट्रियट मिसाइलों को बेचने की मंजूरी दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन मिसाइलों के कारण सऊदी अरब की सुरक्षा और मजबूत होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि अमेरिका ने सऊदी अरब को 730 पैट्रियट मिसाइल और उससे जुड़े उपकरण बेचने का फैसला किया है। यह फैसला अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके एक महत्त्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब की थल सेना को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण सप्लाई करने का सिलसिला जारी रखा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यह घोषणा सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद के अमेरिका दौरे के दौरान हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने से संबंधित विभिन्न पक्षों पर विचार-विमर्श किया गया। सऊदी रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के इस फैसले से सऊदी अरब और अमेरिका के रक्षा संबंधों में और भी मजबूती आएगी। इस फैसले से विश्व शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

गौरतलब है कि अमेरिका के इस फैसले से रूस और चीन के प्रयासों को धक्का लगेगा। रूस और चीन पिछले कुछ समय से सऊदी अरब को रक्षा उपकरण सप्लाई करने और वहां पर रक्षा उपकरण से संबंधित साझा उद्योग स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे।

ब्रिटेन में नाबालिगों का निकाह पढ़ाने वाले इमाम को सजा

इंकलाब (21 जनवरी) के अनुसार ब्रिटेन की एक अदालत ने एक इमाम को दो नाबालिगों का निकाह पढ़ाने पर 15 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में पहली बार किसी व्यक्ति को नाबालिगों का निकाह पढ़ाने के आरोप में सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि इस्लामी शरिया में बच्चों का निकाह कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, शरिया में यह व्यवस्था जरूर है कि दुल्हन की विदाई उसके रजस्वला होने के बाद ही की जानी चाहिए।

52 वर्षीय इमाम अशरफ उस्मानी पर यह आरोप है कि उसने 16 वर्षीय बच्चों का निकाह पढ़ाया है। उस्मानी ने नॉर्थम्प्टन क्राउन कोर्ट को बताया कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि 2023 में नाबालिगों को निकाह पढ़ाने से नौ महीने पहले इंग्लैंड और वेल्स में शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अपने अपराध को स्वीकार करने के कारण इमाम को 15 सप्ताह की जेल की सजा दी गई है। हालांकि, फिलहाल उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। उसे अभी पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा। अदालत ने इमाम पर 150 पाउंड का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि इमाम ने जिन नाबालिगों का निकाह पढ़ाया है उनकी पहचान हमेशा के लिए गुप्त रखी जाए।

ट्रम्प द्वारा गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा

इंकलाब (18 जनवरी) के अनुसार व्हाइट हाउस ने गाजा के लिए नवगठित 'बोर्ड ऑफ पीस' के सदस्यों की विधिवत घोषणा कर दी है। सरकारी घोषणा के अनुसार इस बोर्ड के अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होंगे। इसके कार्यकारी सदस्यों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, मध्य पूर्व के लिए ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क रोवन, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं। सरकारी घोषणा के अनुसार यह बोर्ड गाजा में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित 'शांति योजना' की निगरानी करेगा। बुल्गारिया के निकोले म्लाडेनोव को गाजा के लिए उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अमेरिका ने आर्येह लाइटस्टोन और जोश ग्रुएनबाम को बोर्ड ऑफ पीस का सलहाकार नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान, कतर के राजनयिक अली अल-थवाड़ी, तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है।

समाचारपत्र के अनुसार अमेरिकी सेना अधिकारी मेजर जेनरल जैस्पर जेफर्स अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) की कमान संभालेंगे। गाजा के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति (एनसीएजी) का नेतृत्व फिलिस्तीनी अथॉरिटी में पूर्व उप मंत्री डॉ. अली शाथ करेंगे।

इंकलाब (22 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा गाजा बोर्ड ऑफ पीस को संयुक्त राष्ट्र का विकल्प बनाने का नहीं है। पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और बेलारूस ने इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

इंकलाब (19 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को निमंत्रण भेजा है। इजरायल

के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।

इंकलाब (21 जनवरी) के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इस पर ट्रम्प ने धमकी देते हुए कहा है कि वे ज्यादा समय तक फ्रांस के राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहेंगे। मोरक्को ने भी इस बोर्ड में शामिल होने की पुष्टि की है।

इंकलाब (24 जनवरी) के अनुसार ब्रिटेन ने रूस को इस बोर्ड में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है और युद्ध लड़ रहा है उसे शांति वार्ता का हिस्सा बनाना बेतुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं, आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा है कि इस बोर्ड के कारण गंभीर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां पैदा हो सकती है, इसलिए आयरलैंड इसमें भाग नहीं लेगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि इस बोर्ड में भारत के शामिल होने का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता दोनों पक्षों में है।

औरंगाबाद टाइम्स (1 फरवरी) के अनुसार न्यूजीलैंड और स्पेन ने इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके अतिरिक्त नॉर्वे और क्रोएशिया ने भी घोषणा की है कि वे इस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे।

उर्दू टाइम्स (18 जनवरी) ने अपने संपादकीय में इस बोर्ड के गठन की आलोचना करते हुए कहा है कि यह गाजा की जनता के लिए एक नया खतरा है। समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इरादे नेक नहीं हैं। वे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यहां से हटाकर इसे इजरायल को सौंपना चाहते हैं।

उर्दू टाइम्स (28 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका को यह मौका मिल गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभाव को कम करके इस बोर्ड के जरिए विश्व शांति की आड़ में अपना नया राजनीतिक दांव-पेंच शुरू करे। यही कारण है कि यूरोप के अधिकांश देशों ने इस बोर्ड के गठन का विरोध किया है, क्योंकि वे यह समझते हैं कि इससे विश्व शक्ति का संतुलन खत्म हो जाएगा और अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। अमेरिका आज जो कुछ कर रहा है वह सिर्फ गाजा के प्रबंधन व विकास का मामला नहीं है, बल्कि वह परोक्ष रूप से इस क्षेत्र को इजरायल के हवाले करने की तैयारी कर रहा है।

सियासत (28 जनवरी) ने अपने संपादकीय में गाजा बोर्ड ऑफ पीस को बेहद खतरनाक करार दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि ट्रम्प ने इस बोर्ड की अध्यक्षता अनिश्चितकाल के लिए अपने कब्जे में कर लिया है। अमेरिका के इस प्रस्ताव में न तो गाजा का कोई उल्लेख है और न ही फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों की ही कोई चर्चा है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इसी अमेरिका के इशारे पर इजरायल ने गाजा में तबाही मचाई थी। हैरानी की बात है कि आज वह स्वयं को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि यह बोर्ड गाजा

में स्थिरता और नवनिर्माण का कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसकी आड़ में अपने लिए एक लाभदायक व्यापारिक योजना के दरवाजे खोल लिए हैं। हालांकि, अमेरिका समर्थक कई अरब देश इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन भारत को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अगर इस योजना को लागू किया गया तो ट्रम्प की ताकत संयुक्त राष्ट्र से भी अधिक हो जाएगी। नई दिल्ली को कोई भी फैसला करने से पहले इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज गाजा तो कल कश्मीर को भी इसी मॉडल के तहत लाया जा सकता है।

हिंदुस्तान (24 जनवरी) ने अपने संपादकीय में विश्व शक्तियों को ट्रम्प के खतरनाक इरादों से सावधान रहने का सुझाव दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिका इस बहाने गाजा क्षेत्र को इजरायल के हवाले करने की साजिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प संयुक्त राष्ट्र की शक्तियों का हनन करके उसे कठपुतली बनाना चाहते हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र कहने को तो एक वैश्विक संगठन है, लेकिन वह न्याय, आजादी, समता और कमजोर देशों का संरक्षण करने में बुरी तरह विफल रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन पर शुरू से ही अमेरिका और यूरोपीय देशों का कब्जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रम्प गाजा बोर्ड ऑफ पीस की आड़ में एक वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ■

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध

उर्दू टाइम्स (25 जनवरी) के अनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में ईरान के खिलाफ पेश प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया है। इस प्रस्ताव में ईरान में हालिया प्रदर्शनों में भाग लेने वालों को हिंसक तरीके से दबाने की निंदा की गई है और उसकी अंतरराष्ट्रीय जांच करवाने की मांग की गई है। हालांकि, यह प्रस्ताव यूएनएचआरसी के 39वें विशेष अधिवेशन में पारित हो गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 25 देशों ने मतदान किया। सात देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और 14 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। भारत के अतिरिक्त चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, वियतनाम और क्यूबा ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। जबकि यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, आइसलैंड और लैटिन अमेरिकी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में ईरान में 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने को मानवाधिकारों का हनन करार दिया गया है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि ईरानी सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या की है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 40 हजार लोगों को

गिरफ्तार किया गया है और त्वरित सुनवाई के बाद छह से सात हजार लोगों को फांसी पर लटका दिया गया है।

इस प्रस्ताव में ईरान पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय फैक्ट–फाइंडिंग मिशन का अधिकार क्षेत्र दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि ईरानी प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न की जांच एक वर्ष के भीतर करने की मांग की गई है। बताया जाता है कि भारत सरकार ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए प्रतिबंधों में छूट बढ़ाने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रही है, जो अप्रैल 2026 में समाप्त हो रही है। यह बंदरगाह पाकिस्तान को बायपास करते हुए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। अमेरिका अब यूएनएचआरसी का सदस्य नहीं है। वह इससे अलग हो चुका है।

नई दिल्ली स्थित ईरानी राजदूत मोहम्मद फतह अली ने भारत सरकार के इस रुख का समर्थन किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैं ईरान के पक्ष में सैद्धांतिक और जोरदार समर्थन करने पर भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत ने एक अवैध और राजनीतिक लक्ष्य वाले प्रस्ताव का विरोध किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत ने न तो ईरान सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है और न ही प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न की रिपोर्टों को खारिज किया है। भारत सरकार के अनुसार यूएनएचआरसी का यह विशेष अधिवेशन गैर–जरूरी था। भारत इससे पहले भी इस तरह के प्रस्तावों पर मतदान से दूर रहा है। भारत नवंबर 2022 में ईरान में फैक्ट–फाइंडिंग मिशन स्थापित करने वाले प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया था।

उर्दू टाइम्स (25 जनवरी) ने अपने संपादकीय में यूएनएचआरसी में ईरान के खिलाफ पारित प्रस्ताव की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ऐसे प्रस्ताव सिर्फ मानवाधिकारों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि इसके पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। ईरान में आज जो कुछ भी हो रहा है वह आंतरिक असंतोष का नतीजा नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा प्रॉक्सी राजनीति का परिणाम है। अमेरिका ईरान को अपने इशारे पर नचाना चाहता है। जबकि ईरान कोई मामूली देश नहीं है। वह एक कूटनीतिक शक्ति वाला देश है। यही उसका सबसे बड़ा अपराध है। ईरान का अपराध यह है कि वह निष्पक्ष विदेश नीति अपना रहा है और वह इस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देता है। अमेरिका और उसके सहयोगी यह सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे मानवाधिकारों का हनन के नाम पर ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। यह उनकी भू-राजनीतिक शतरंज की एक चाल है।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि एक स्वतंत्र देश की जनता को उसके शासकों के खिलाफ भड़काना, उसका राजनीतिक लाभ उठाना और फिर मानवाधिकारों का प्रवचन देना अमेरिका के खतरनाक इरादों को बेनकाब करता है। अगर यह मानवाधिकार का मामला है तो फिर विश्व की नैतिकता तब कहां चली जाती है जब अमेरिका खुलेआम ग्रीनलैंड पर अपना दावा पेश करता है? इन देशों का मानवता प्रेम उस समय क्यों

कुंभकर्णी नींद में सो जाता है जब इजरायल गाजा पर अवैध कब्जा जारी रखता है? जब हजारों फिलिस्तीनी बच्चे मलबे के नीचे जिंदा दफन हो जाते हैं तो उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागती? जब इजरायल सीरिया और लेबनान पर हमला करता है और वहां के बड़े-बड़े शहर खंडहर में बदल जाते हैं तो विश्व की ये शक्तियां क्यों चुप रहती हैं? संयुक्त राष्ट्र के मंच को शक्तिशाली देशों के राजनीतिक दांव-पेंच के लिए इस्तेमाल करना और कमजोर या अवांछित देशों को कठघरे में खड़ा करना मानवाधिकारों की साख को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।

भारत और यूएई के बीच व्यापारिक समझौता

एतेमाद (20 जनवरी) के अनुसार भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 2032 तक सालाना द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों देशों ने इस संबंध में एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश ऊर्जा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु रिएक्टर में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आए थे। दोनों देश भारत में एक सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।

यूएई के राष्ट्रपति ने पिछले एक दशक में पांच बार भारत का दौरा किया है। नाहयान ने भारत का दौरा ऐसे समय में किया है जब वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। एक ओर, वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की चीन और रूस से तनातनी है तो दूसरी ओर, ईरान की स्थिति बेहद खराब है। इसके अतिरिक्त यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव व गाजा में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण मध्य पूर्व संवेदनशील है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को भारत के विभिन्न राज्यों के विशिष्ट हस्तशिल्प उपहार के रूप में भेंट किए।

सियासत (27 जनवरी) के अनुसार यूएई में शुरुआत से ही बॉलीवुड की फिल्में लोकप्रिय रही हैं। यूएई भारतीय फिल्मों के लिए एक बड़ा और लाभदायक बाजार के रूप में उभरा है। हालांकि, हाल ही में राजनीतिक कारणों से कई भारतीय फिल्मों को यूएई में दिखाने की अनुमति नहीं मिली। इसके कारण हिंदी फिल्म उद्योग को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारों के अनुसार बॉलीवुड की फिल्मों की विदेशी कमाई का 40 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों से आता है।

सीरिया में एसडीएफ और सरकारी सेना में युद्धविराम

चट्टान (28 जनवरी) के अनुसार सीरिया में सरकारी सेना ने उत्तर-पूर्वी सीरिया में कुर्दों के संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) के कब्जे वाले ज्यादातर इलाकों पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया है। इसके बाद अमेरिका के प्रयास से सीरियाई सेना और एसडीएफ के बीच युद्धविराम हो गया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका लंबे समय से एसडीएफ का समर्थन करता रहा है, लेकिन अब सीरिया में अहमद अल-शरा की नई सरकार है, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि अमेरिका एसडीएफ को एक स्वतंत्र सेना के बजाय सीरियाई राष्ट्रीय सेना का हिस्सा बनाना चाहता है। इस युद्धविराम समझौते के तहत एसडीएफ के लड़ाकों को सीरिया की सेना और पुलिस में शामिल किया जाएगा। हजारों कुर्द इन इलाकों से पलायन कर गए हैं। अब तक पौने दो लाख लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासनकाल के दौरान सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ गया था। पिछले साल सीरिया के कई क्षेत्रों में शिया-सुन्नी झड़पों में हजारों लोग मारे गए थे। सीरिया के अधिकांश क्षेत्र सरकारी सेना के नियंत्रण में हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि युद्धविराम की एक महत्त्वपूर्ण शर्त यह भी है कि सरकारी सेना कुर्द बहुल इलाकों में नहीं घुसेगी, लेकिन इसका उल्लंघन किया जा रहा है।

कौमी तंजीम (24 जनवरी) के अनुसार सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि एसडीएफ ने 35 स्थानों पर युद्धविराम का उल्लंघन किया है। इन हमलों में 11 सरकारी सैनिक मारे गए हैं और 25 से ज्यादा घायल हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने पुष्टि की है कि एसडीएफ के प्रमुख मजलूम आब्दी सीरिया की संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे और एसडीएफ के लड़ाकों को सरकारी सेना और पुलिस में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह है कि सीरिया के नवनिर्माण में सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त किया जाए।

एतेमाद (22 जनवरी) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कुर्दिश सेना से अपील की है कि वे अपने हथियार सरकारी सैनिकों के सामने डाल दें और अपने संगठन को भंग कर दें ताकि सीरिया में शांति स्थापित हो सके। एर्दोगन ने कहा है कि तुर्किये एसडीएफ को एक आतंकवादी संगठन मानता है। इसका संबंध कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) से है। उन्होंने एसडीएफ और सीरिया के सरकारी सैनिकों के बीच हुए युद्धविराम का स्वागत किया है।

सऊदी अरब द्वारा 1800 विदेशी एजेंसियों के साथ समझौता निलंबित

कौमी तंजीम (2 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब ने उमराह व्यवस्था में सुधार करने का फैसला किया है। इसके तहत सऊदी सरकार ने 1800 विदेशी यात्रा एजेंसियों के साथ उमराह से संबंधित समझौते को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि सऊदी सरकार ने उमराह से संबंधित 5800 यात्रा एजेंसियों के साथ समझौता किया था। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के मुताबिक नियमित समीक्षा के दौरान इन विदेशी एजेंसियों की सेवा गुणवत्ता में भारी अनियमितता पाई गई है। ये विदेशी एजेंसियां आवास, परिवहन और वीजा प्रोसेसिंग जैसे निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रही हैं। यही कारण है कि सरकार ने 1800 उमराह यात्रा एजेंसियों के साथ समझौते को निलंबित कर दिया है। जांच के दौरान पता चला है कि ये उमराह एजेंसियां उमराह करने के इच्छुक लोगों को गुमराह करके उनसे भारी धनराशि वसूल करती थीं।

मंत्रालय ने इन प्रभावित एजेंसियों को अपनी कमियों को दूर करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। जो एजेंसियां निर्धारित समय सीमा में मानकों को पूरा कर लेंगी उनके लाइसेंस फिर से बहाल कर दिए जाएंगे। बताया जाता है कि मिस्र सरकार ने सऊदी सरकार को उमराह एजेंसियों के कामकाज की रिपोर्ट भेजी थी। मिस्र सरकार ने हाल ही में अपने देश में स्थित कुछ उमराह एजेंसियों के लाइसेंस रद्द किए हैं। कहा जाता है कि जिन एजेंसियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उन्होंने यात्रियों को उमराह वीजा के बजाय यात्रा वीजा पर सऊदी अरब भेजा और उनके लिए उचित चिकित्सा सहायता व आवास उपलब्ध नहीं कराया।

एतेमाद (24 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने दावा किया है कि रजब के महीने में एक करोड़ 48 लाख से अधिक लोगों ने उमराह किया। उमराह करने वालों में 20 लाख से अधिक विदेशी थे। समाचारपत्र ने कहा है कि उमराह करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी सऊदी अरब सरकार की लगातार कोशिशों का नतीजा है। सऊदी सरकार 'विजन 2030' के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यटन और सेवा क्षेत्र से जोड़ने का काम कर रही है। सऊदी सरकार का लक्ष्य 2030 तक सालाना तीन करोड़ उमराह यात्रियों की मेजबानी करना है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

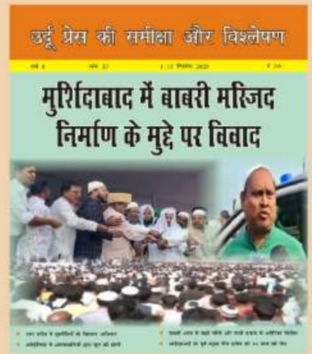

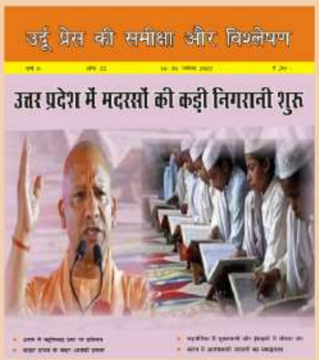

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in